न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–642 सन् 2015

बलि राय व अन्य.....वादीगण

बनाम

विरेन्द्र सिंह व अन्य.....प्रतिवादीगण

दिनांक– 23.11.2021

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी दी गई है। आज अभिलेख वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 16.12.2019 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादीगण का आवेदन में कथन है कि प्रतिवादी सं0 10 रत्नेश्वर प्रसाद सिंह की मृत्यु दिनांक 08.12.2019 को हो गई। उनके जायज वारिसानों का नाम इस आवेदन के अंदर दिया गया है। जिन्हें प्रतिस्थापित किया जाना न्यायाहित में आवश्यक है। पुनः प्रतिवादी सं0 9 भन्नु सिंह की मृत्यु घर से बाहर ईलाज के दरम्यान दिनांक 02.10.2019 को हो गई है। जिसकी जानकारी वादीगण को दिनांक 07.12.2019 को हुई। प्रतिवादी सं0 9 के वारिसान का नाम इस आवेदन में दिया गया है। जिन्हें न्यायहित में प्रतिस्थापित किया जाना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि वादपत्र से प्रतिवादी सं0 9 एवं 10 का नाम काटकर उनके स्थान पर उनके वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित कर दिया जाए।

वादीगण की ओर से विलंब को माफ करने हेतु धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत आवेदन दाखिल कर कहा गया है कि वादी को प्रतिवादी सं0 9 की मृत्यु की जानकारी दिनांक 07.12.2019 को हुई। अतः विलंब को माफ करते हुए प्रतिवादी सं0 9 एवं 10 का नाम वादपत्र से काटकर उनके स्थान पर आवेदन में

लिखित वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित कर दिया जाए।

प्रतिवादीगण की ओर से उपर्युक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 03.08.2021 को दाखिल किया गया है जिसमें उनका कथन है कि वादीगण का आवेदन स्वीकृत होने योग्य नहीं है, बल्कि खारिज होने योग्य है। वादी का आवेदन काफी विलंब से दाखिल किया गया है। जब कि वादो एवं प्रतिवादी एक ही गांव के रहने वाले हैं। अतः वादी के आवेदन को खर्चा के साथ खारिज किया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0 9 भन्नु सिंह हैं परंतु प्रतिवादी सं0 10 रत्नेश्वर प्रसाद सिंह का नाम वादपत्र में प्रतिवादी के खाने में उल्लेखित नहीं है। अतः वादीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे प्रतिवादी सं0 10 के बारे में स्पष्ट करते हुए पुनः आवेदन दाखिल करें।

वाद दिनांक 07.12.2021को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर सारण।